



क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

फोन नं० -0612-2533404, फैक्स नं०- 0612-2533314ई-मेल rd-bihar@esic.in
वेबसाइट: www.esic.nic.in, www.esibihar.in

पत्रांक:-42 - ए - 21/11/1/96 - स्था.।।।

दिनांक:- 06-03-2018

ज्ञापन

समसंख्यक पत्र दिनांक 11.07.2014 के अनुसार गठित आंतरिक शिकायत समिति का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत सक्षम प्राधिकारी ने 'कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार एक नई आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रम सं०	सदस्यों के नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
1	श्रीमती ज्योति प्रसाद, उप निदेशक क.रा.बी.निगम, क्षे. का. पटना	अध्यक्ष	अधिनियम की धारा 4 (2) (क) के अन्तर्गत
2	श्री संजीव कुमार, उप निदेशक क.रा.बी.निगम, क्षे. का. पटना	सदस्य	अधिनियम की धारा 4 (2) (क) के अन्तर्गत
3	श्री अनिल कुमार, निजी सचिव, क.रा.बी.निगम, क्षे. का. पटना	सदस्य	अधिनियम की धारा 4 (2) (क) के अन्तर्गत
4	श्रीमती रंजना कुमारी, शाखा प्रबंधक शाखा कार्यालय, क.रा.बी.निगम, पटना	सदस्य	अधिनियम की धारा 4 (2) (क) के अन्तर्गत
5	श्रीमती डॉ० सुमन लाल, संस्थापक अध्यक्ष, प्रयास भारती ट्रस्ट	सदस्य	अधिनियम की धारा 4 (2) (क) के अन्तर्गत

उपर्युक्त समिति का कार्यकाल इसकी अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष या सक्षम प्राधिकारी के आदेश से पुनर्गठन / संशोधन की अवधि तक होगा।

उपर्युक्त गठित समिति का अधिकार क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पटना तथा इसके संलग्न कार्यालयों तक होगा।

उपर्युक्त आंतरिक शिकायत समिति 'कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध तथा निवारण) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी तथा अधिनियम में यथा अपेक्षित अभिलेख/विवरणियां तैयार करेगी।

आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यगण

— २० —
(संजीव कुमार)
उप निदेशक (प्रशा०)

प्रतिलिपि :-

1. महानिदेशक (अनु.जाति/जनजाति), मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली
2. महानिदेशक (सतर्कता), मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली
3. बीमा आयुक्त, का० एवं प्र०, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली
4. अध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, बिहार
5. राज्य चिकित्सा आयुक्त, क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, बिहार
6. सभी शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क. रा. बी. निगम, बिहार
7. सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय, क. रा. बी. निगम, बिहार
8. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम, नई दिल्ली को इस ज्ञापन को वेबसाइट पर डालने के लिए।
9. महासचिव, क.रा.बी.निगम कर्मचार संघ, बिहार
10. राजभाषा शाखा
11. नोटिस बोर्ड

उप निदेशक (प्रशा०)